न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 37/2019

रिद्वलाल उम्र 66 वर्ष पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

आवेदक

बनाम

1. हरचन्द उम्र 70 वर्ष पुत्र पेमाराम
2. महावीरसिंह उम्र 80 वर्ष पुत्र गोपालराम
3. उम्मेदसिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र हरफुल
4. परमेश्वरी उम्र 70 वर्ष पुत्री हरफुल
5. पितरामसिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र हरफुल
6. हरलाल उम्र 66 वर्ष पुत्र टीकूराम
7. रामदेव उम्र 82 वर्ष पुत्र उदा
8. डुंगर उम्र 67 वर्ष पुत्र मेधाराम
9. मुकेश कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्र लालचन्द समस्त जाति जाट निवासी चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चुड़ेला जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गांधी चौक झुझुनू जरिये शाखा प्रबंधक
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.05.2022

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बास चुड़ेला पटवार हल्का चुड़ेला की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 174/654 रकबा 0.20 है0, ख0न0 90 रकबा 0.01 है0, ख0न0 91 रकबा 0.02 है0, ख0न0 92 रकबा 2.24 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.47 है0 आवेदक की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने–जाने हेतु प्रचलित कदीमी रास्ता ख0न0 83/713, 83, 84, 175, 174 से गुजरता हुआ आवेदक की खातेदारी भूमि ख0न0 92 में प्रवेश करता है। जो सलंग्न नजरी नक्शे मे बिन्दु ए से बी दर्शाया गया है। ख0न0 83/713, 83, 84, 175, 174 के खातेदार उक्त रास्ते को तारबंदी करके अवरूद्व करना चाहते है। इसलिये प्रार्थी प्रचलित कदीमी रास्ते को 8 फुट चौड़ा दर्ज करवाना चाहता है। अन्त में प्रार्थी को जमीन जैर बहस में आने–जाने के लिये नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक रास्ते को 8 फीट चौड़ा कर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1, 2 व 6 लगायत 8 की ओर से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

अधिवक्तागण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रर्थना पत्र की धारा 1 वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें सभी खातेदार काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सह खतेदारान को बिना पक्षकार बनाये अकेला खातेदार इस प्रकार का आवेदन पत्र पेश नहीं कर सकता है। आवेदन पत्र प्रथमदृष्टया ही खारीज होने योग्य है। प्रार्थी ने नजरी नक्शे में गलत तरीके से मनमाने ढ़ंग से रास्ता दर्ज कर पेश किया है जबकि इस प्रकार का रास्ता कभी अस्तीत्व में नहीं रहा है और ना ही है। आवेदक के खेत के व जवाबदेहन्दा अनावेदक संख्या 1 के खेत के दक्षिण दिशा में स्थित झुझुनू से चूरू जाने वाली आम सड़क से उतर दिशा में 20 फीट चौड़ा रास्ता राजकीय जोहड़ से लगता है। जिसमें से होकर आवेदक निर्बाध रूप से आवागमन करता है। इस प्रकार आवेदक के सुगमता पूर्वक वैकल्पिक रास्ता होने के बाद भी आवेदन पत्र गलत प्रस्तुत किया गया है इस कारण धारा 6 में वर्णित कोई भूमि अनुतोष आवेदक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 5, 9 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 9 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं रास्ता 8 फीट चौड़ा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी के पूर्व से रास्ता लगता है जिससे प्रार्थी वर्तमान में आना–जाना करता है। अतः वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नवीन रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 2388 दिनांक 04.10.2019 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मौके पर पगडंडी के रूप में रास्ता चल रहा है। ख0न0 174 व 92 की सीमार पर काश्तकार तारबंदी कर लकड़ी का गेट चढ़ा रखा है। खातेदार ख0न0 92 में पुख्ता मकान बनाकर आबाद है जिसमें ख0न0 173 (चारागाह) में से होकर अपने मकान तक आवागमन कर रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

देश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाइन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु ख0न0 173 चारागाह में से रास्ता उपलब्ध है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/5/2022

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर